

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-रीवा (म०प्र०)

आदेशः

रीवा दिनांक 18 जुलाई 2020

क्रमांक 629, प्रवा०कल०/2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10-02/2020/2017/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष में मध्यप्रदेश पब्लिक हेत्थ एकट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/प्र०स०/स्वास/सहस्त्र/मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म०प्र० पब्लिक हेत्थ एकट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:-

1. मऊगंज क्षेत्र में पाये गये COVID-19 संक्रमित पोजिटिव केस से संबंधित घर एवं उसके आस-पास के घरों की जानकारी निम्नानुसार है।

स०क्र०	स्थान का नाम
1.	ग्राम पंचायत भाठी सेंगर ग्राम हर्रई मुडहान वार्ड 12(उमरी माधव) राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज तहसील मऊगंज जिला रीवा

2. ग्राम पंचायत भाठी सेंगर ग्राम हर्रई मुडहान वार्ड 12(उमरी माधव) में श्यामलाल साकेत के घर को Epicenter घोषित करते हुये ग्राम हर्रई मुडहान वार्ड 12(उमरी माधव) नदी के पास भोला केवट के मकान से रामफल केवट के मकान तक, तथा भोला केवट के मकान से बृजेन्द्रदास गुप्ता के मकान से होते हुए रामफल केवट के मकान तक, कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा।
3. कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रवधन हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemics Covid-19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है:-

क्षेत्र	इंसीडेन्ट कमांडर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	जनपद अधिकारी	पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारी
1	2	3	4	5	6
ग्राम पंचायत भाठी सेंगर ग्राम हर्रई मुडहान वार्ड 12(उमरी माधव) राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज तहसील मऊगंज जिला रीवा	श्रीमती माला त्रिपाठी अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग मऊगंज मो. नम्बर 9425186413	श्री अनुराग त्रिपाठी प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील मऊगंज मो.नं. 7276785830	श्री शैलेन्द्र शर्मा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मऊगंज मो. न. 9340789867	श्री बलबान सिंह मवासे मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. मऊगंज मो. न. 9977845752	श्री एम०एल० सोनी अनुविभागीय अधिकारी पी. डब्ल्यू. डी. मऊगंज मो.न. 9827397810

4. कंटेनमेंट प्लान एवं कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ. पंकज सिंह गहरवार खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज मो. नं. 8982315488 नोडल अधिकारी रहेंगे। तथा सहायक नोडल, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास मऊगंज अजय प्रकाश मिश्रा मो. नं. 9560909646 रहेंगे।

क०प०८००



कंटेनमेंट एरिया

1. कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिवंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। सन्दर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो प्रतिवंधात्मक आदेश जारी किया गया है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। अतः कंटेनमेंट एरिया के अन्दर भी आवागमन पूर्णतः प्रतिवंधित रहेगा।
 2. कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिवंधित रहेगा।
 3. कंटेनमेंट एरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जायेगा, जो प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर हो।
 4. उक्त क्षेत्र के एन्ड्री. एकिजिट पाइट पर स्वारथ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी।
 5. समस्त घार्ड वार फ्रांटलाईन कार्यकर्ता/एपीसेन्टर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्म में रिपोर्ट डॉ. पंकज सिंह गहरवार खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वारथ्य केन्द्र मजगंज मो. नं. 8982315488 को अनिवार्यतः उपलब्ध करायें, तथा डॉ वसंत अग्निहोत्री जिला टीकाकरण अधिकारी नोडल ऑफिसर मो.नं 9425185810 से समन्वय स्थापित करें।
 6. समस्त टीम COVID-19 सर्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खासी स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
 7. समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन करया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फेलने से रोका जा सके।
 8. जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सर्पेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो संवंधित के फर्स्ट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फॉलोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
 9. आगे संक्रमण फेलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेसिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवाही व उनको भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये सम्पर्क एवं ट्रैकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
 10. जनपद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।
 11. सर्पेक्टेड केस आर.आर.टी./एम.एम.यू. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सेसन हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें।
- जिला-समुक्त कार्यकर्ता पी.पी.ई. प्रोटोकोल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।**

(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)

कृ०प०उ०

रीवा दिनांक 18 जुलाई 2020

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 3- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 4- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 5- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
- 6- कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, की ओर सूचनार्थ।
- 7- पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
- 8- पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
- 9- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
- 10- पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
- 12- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (समस्त) तहसील की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 14- जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रीवा।
- 15- जिला अपूर्ति अधिकारी, जिला रीवा।
- 16- नगर पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 17- स्टेनो टू कलेक्टर/स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा।
- 18- संबंधीजन श्री की ओर पालनार्थ।
- 19- सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-रीवा (म०प्र०)

:आदेश:

रीवा दिनांक 18 जुलाई 2020

क्रमांक 640 प्रवाह०कले०/2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10-02/2020/2017/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस धीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/प्र०स०/स्वास्थ्य/सहस्र/मेडी-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म०प्र० पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेवकान 71(2) में प्रावधानित समर्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किए जा चुके हैं। मैं इलैयाराजा टी. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा (म०प्र०) पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेवकान 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुए श्यामलाल साकेत के घर को Epicenter घोषित करते हुये ग्राम हर्ई मुडहान वार्ड 12 (उमरी माध्व) नदी के पास भोला केवट के मकान से रामफल केवट के मकान तक, तथा भोला केवट के मकान से वृजेन्द्रदास गुप्ता के मकान से होते हुए रामफल केवट के मकान तक राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज तहसील मऊगंज को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम के चारों ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर एरिया घोषित किया जाता है। जिसमें आई.एल.आई के मरीजों की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा। जोन माना जाएगा। जिसमें आई.एल.आई के मरीजों की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा। उक्त कार्य के संपादन हेतु निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी के कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं:-

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मोबाइल नम्बर	वार्ड क्रमांक
01-	श्री रमेश कुमार पटेल	शिक्षक पूर्व माध्यविद्यालय उमरी माध्व		हर्ई मुडहान वार्ड 12 कंटेनमेंट एरिया
	श्री सुनयना साकेत	आगनवाड़ी कार्यकर्ता हर्ई मुडहान	6266617108	
	श्रीमती शाती राकेत	आगनवाड़ी कार्यकर्ता भाठी सेंगर	9691895819	
	श्रीमती पुष्पा राय	आशा कार्यकर्ता हर्ई मुडहान	6264624746	

पर्यवेक्षण दल

क्र.	नाम	पद	मो.नं.
1-	श्री प्रवीण श्रीवास्तव	उपयंत्री (ज०प्र० मऊगंज)	6232739710
	श्रीमती ज्योती वारी	आगनवाड़ी सुपरवाइजर	9131376722
3-	श्री रमनिवास तिवारी	स्वास्थ्य सुपरवाइजर	9893194026

क०प०उ०




11/2/1

रिजर्व दल

क्र.	नाम	पद	मो.नं.	कार्य
1-	श्री कृष्ण कुमार नामदेव	सहा० शिक्षक प्राथमिक शाला हरई मुडहान	9806684182	रिजर्व दल
2-	श्री अमजद बेग	रोजगार सहा० ग्रा.पंचा. (उमरी माघव)	9993881088	
3-	श्रीमती रामलली कुशवाहा	सचिव ग्रा.पंचा. (उमरी माघव)	8827123772	
4-	श्रीमती कमला कोल	आशा कार्यकर्ता भाठी सेंगर		

उपरोक्त कार्यवाही हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मऊगंज नियंत्रण कक्ष रहेगा। नियंत्रण कक्ष की सभी व्यवस्था डॉ. पंकज सिंह गहरवार खण्ड चिकित्सा अधिकारी, वी०पी०एम० श्री प्रकाश साहू एवं यी०ई०ई० श्री समीर खान मऊगंज करेंगे। डॉ प्रद्युम्न शुक्ला चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज कंटेनमेंट क्षेत्र में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य देखेंगे तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट सुपरवाइजर के माध्यम से प्राप्त कर खण्ड कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दोपहर 03 बजे के पूर्व प्रेषित करेंगे।



(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)
रीवा दिनांक 18 जुलाई 2020

- प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
 2- प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
 3- आयुक्त रीवा संभाग रीवा, की ओर सूचनार्थ।
 4- पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 7- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 9- स्टेनो टू कलेक्टर/स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
 10- संबंधीजन श्री की ओर आदेश सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)